भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*87**

(जिसका उत्तर 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त अशोध्य ऋण**

\*87. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त अशोध्य ऋण-राशि के बारे में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ऐसे बैंकों में और अधिक पूंजी लगाए जाने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)

**(क) से (च):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के अशोध्य ऋण के संबंध में श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पूछे गए 16 अगस्त, 2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*87 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क):** जी, हां।

**(ख):** सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, न्यास अथवा कारपोरेट निकाय के रूप में स्थापित की जा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 03 अगस्त, 2012 के अपने परिपत्र के तहत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जो मुख्यतः सूक्ष्म वित्तपोषण करती हैं, को तत्काल प्रभाव से और हर हाल में 31 अक्तूबर, 2012 तक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी – एमएफआई) के रूप में पंजीकृत करने का निदेश दिया है।

**(ग) और (घ):** आरबीआई में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की आस्तियों वाले) के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) **अनुबंध** में दी गई हैं।

**(ड.) और (च):** चूंकि ये एमएफआई गैर-सरकारी एनबीएफसी हैं, इसलिए सरकार द्वारा इसमें पूंजी लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*

**एमएफआई की सूची – सकल एनपीए – 31 मई, 2011 तक की स्थिति**

(राशि करोड़ रुपए में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **नाम** | **क्षेत्र** | **सकल एनपीए** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | सपंदना स्फूर्ति फाइनेंस लि. | हैदराबाद | 1421.36 |
| 2 | भारतीय स्मृद्धि फाइनेंस लि. | दिल्ली | 139.25 |
| 3 | अस्मिता माइक्रोफिन लि. | हैदराबाद | 629.41 |
| 4 | शेयर माइक्रोफिन लि. | हैदराबाद | 1096.98 |
| 5 | एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लि. | हैदराबाद | 267.77 |
| 6 | फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज लि. | हैदराबाद | 32.53 |
| 7 | मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्रा. लि. | हैदराबाद | 33.33 |
| 8 | विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. | कलकत्ता | 1.90 |
| 9 | उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. | बंगलोर | 9.63 |
| 10 | जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. | बंगलोर | 2.19 |
| 11 | ग्राम विडियाल माइक्रो फाइनेंस प्रा. लि. | चेन्नै | 0.72 |
| 12 | एस.एम.आई.एल.ई. माइक्रो फाइनेंस लि. | चेन्नै | 0.12 |
| 13 | बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. | कलकत्ता | 2.31 |
| 14 | बीएसएस माइक्रोफाइनेंस प्रा. लि. | बंगलोर | 0.00 |

**टिप्पणीः** जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक की आस्तियों वाले) जो मुख्य रूप से सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्रियाकलापों में लगी हुई हैं।